न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/448

1. धनराज आत्मज माधो लाल मीणा निवासी ग्राम खंरूला तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. रामलाल उर्फ रामराज आत्मज माधो लाल मीणा निवासी ग्राम खंरूला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. भूरा लाल आत्मज माधो लाल मीणा निवासी ग्राम खंरूला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. गणेश लाल आत्मज बजरंग लाल जाति माली निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. हीरा आत्मज बाला जाति मीणा निवासी ग्राम खंरूला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 गणेश लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम ईश्वरनगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की आराजी कुल रकबा 3.33 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी उक्त भूमि पर विगत 33–34 वर्षों से लगातार शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में चली आ रही है । उक्त भूमि वादी की माता ने जरिये विक्रय पत्र वर्ष 1974 में भूमि के खातेदारान हीरा आत्मज श्री बाला एवं माधो वल्द मोती से क्रय की थी तभी से वादी शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा वर्तमान खातेदारों के नाम जमाबन्दी से हटाया जाकर वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण कम 1 से 4 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का हस्तान्तरण या विक्रय नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 29.06.2010 के द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.07.2017 को पटवारी जी से तलाश करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. न्यायालय हाजा ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पर उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुन कर अपने आदेश दिनांक 12.03.2015 के अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का आदेश पारित किया ।

8. न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनाक 12.03.2015 से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 04.07.2017 के द्वारा खारिज कर दी ।

9. अपील अपीलान्ट पुनः दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी दिनांक 22.04.1974 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से रेस्पोडेन्ट कम 2 हीरा एवं माधो ने बेचान की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन माना पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 में अपीलान्ट को पाबन्द किया गया है जबकि धारा 188 का वाद करेगा जो रिकॉर्डेड खातेदार हो एवं उसी का कब्जा हो जबकि प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है और न ही उसका उक्त भूमि पर कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो वादी के पक्ष में अनुतोष दिया है वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । धारा 42 पर कब्जा मुखालफाना का सिद्धान्त लागू होगा । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित

किया है उसमें अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया और हमारे विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है । प्रस्तुत प्रकरण में धारा 63 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है इसलिए काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया जा सका । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 29.06.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने क्रय की थी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना की मियाद निकल चुकी है इसी प्रकार उक्त भूमि पर धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की समय सीमा जो 30 वर्ष है वह भी निकल चुकी है । लगान, पिलाई सब रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा जमा किया जा रहा है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है । वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट कम 2 का भी है परन्तु उन्होंने कोई अपील आदि प्रस्तुत नहीं की है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी वर्ष 1974 में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 क्रय की है । रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा ही वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सिंचाई शुल्क, लगान आदि जमा किया जा रहा है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण अपीलान्ट जो जनजाति के सदस्य हैं के द्वारा सवर्ण जाति के सदस्य को आराजी का बेचान किया गया है जो धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है । अपीलान्ट ने अन्दर मियाद उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट कम 1 को बेदखल करने हेतु कोई वाद आदि प्रस्तुत नहीं किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अन्तर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था ।

13. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17 / 448

1. धनराज आत्मज माधो लाल मीणा निवासी ग्राम खंरूला तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. रामलाल उर्फ रामराज आत्मज माधो लाल मीणा निवासी ग्राम खंरूला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. भूरा लाल आत्मज माधो लाल मीणा निवासी ग्राम खंरूला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. गणेश लाल आत्मज बजरंग लाल जाति माली निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. हीरा आत्मज बाला जाति मीणा निवासी ग्राम खंरूला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 42 / दावा / 2009

गणेश लाल आत्मज बजरंग लाल जाति माली निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

—वादी

वर्षित

बनाम

1. हीरा आत्मज बाला जाति मीणा निवासी ग्राम खंरूला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. धनराज आत्मज माधो लाल मीणा निवासी ग्राम खंरूला तहसील दीगोद जिला कोटा।
3. रामलाल उर्फ रामराज आत्मज माधो लाल मीणा निवासी ग्राम खंरूला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. भूरा लाल आत्मज माधो लाल मीणा निवासी ग्राम खंरूला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.03.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र नन्दवाना एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश शर्मा उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 14.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा